सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—महावीर सिंह, आर.ए.एस

अपील संख्याः 13 / 19 निर्णय दिनांकः— 11—10—2019

1. भूराराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बच्छासर तहसील व जिला बीकानेर हाल आबाद लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. लूणाराम | पुत्रगण भूराराम जाति मेघवाल निवासी बच्छासर
2. पीथाराम | तहसील व जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
4. उपपंजीयक प्रथम, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 19—05—2004 व 06—07—2015
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेरा के आदेश दिनांक 19—05—2004 जिसके द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि पर एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम बच्छासर तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 149 तादादी 15.3100 हेक्टर व खसरा नम्बर 225 में 0.700 हेक्टर कुल तादादी 16.0100 हेक्टर भूमि अपीलांट का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलांट का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है, रेस्पोडेन्ट्स अमालामाल से मिली भगत करते हुए वादगत् भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर अमादा है। जबकि जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा अपीलांट द्वारा वादगत् पर विधिवत कब्जा प्राप्त कर लिया गया। वर्तमान में वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित हैं अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट की खातेदारी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में के संबंध में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को रजिस्टर्ड समन जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 08—07—2019 को उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि एक पैतृक सम्पति है जिस पर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार निहित है। अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान करने की कार्यवाही किये जाने के कारण रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये, परन्तु बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई तथा प्रकरण की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाद के निर्णय तक दिनांक 19—05—2004 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को पुख्ता (absolute) किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश जैर अपील से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावें।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि ग्राम बच्छासर तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 149 तादादी 15.3100 हेक्टर व खसरा नम्बर 225 में 0.700 हेक्टर कुल तादादी 16.0100 हेक्टर भूमि के बाबत् एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 19—05—2004 को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। तत्पश्चात् क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर पत्रावली सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर के न्यायालय में स्थानान्तरित होने पर विचाराधीन चलती रही। उक्त पत्रावली पर अपीलांट/अप्रार्थी की तलबी किये बिना व पत्रावली तलबी

के स्तर पर जैरकार होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी एकतरफा तौर पर अपीलांट/अप्रार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पूर्व में जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा को दावे के निर्णय तक पुख्ता किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोलासर में पारित किया गया है।

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालत का आयोजन इस मंशा के साथ किया जाता है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य प्रकरण्र का निस्तारण राजीनामें के आधार पर किया जाना हो, वहॉ लोक अदालत की भावना को प्रकरण का निस्तारण सभी पक्षों की उपस्थिति में किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट/अप्रार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्पष्ट रूप से राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत तथा आंकड़ों को बढ़ाने के उद्वेश्य मात्र से पारित किया गया आदेश परिलक्षित होता है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत मामलें में वादग्रस्त भूमि को लेकर विवाद पिता व पुत्रों के मध्य है। चूंकि वादग्रस्त भूमि का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व एकतरफा तौर पर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए रिकार्डेड खातेदार को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया गया है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना का अंतिम रूप से निस्तारण करने से पूर्व इन तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स पर अपना अभिमत दिया जाना अपरिहार्य है।

प्रकरण में चूंकि परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने से पूर्व विधिक प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया है ना ही अपीलांट/अप्रार्थी जोकि वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना राजस्व कैम्प का सहारा लेते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—05—2004 व सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06—07—2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 11—10—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर